[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2023 का विधेयक संख्या–11 एच०एल०ए०

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 3ग में,– 1975 के हरियाणा अधिनियम 8 की धारा 3ग का संशोधन।

(i) विद्यमान उपांतिक शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित उपांतिक शीर्ष प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"स्वतन्त्र आवासीय तथा वाणिज्यिक मंजिलों का रजिस्ट्रीकरण।";

(ii) उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"(1) किसी उपनिवेश, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है, में अंतरण, विक्रय, उपहार, आदान–प्रदान या शाश्वत पट्टे के प्रयोजन के लिए स्वतन्त्र आवासीय तथा वाणिज्यिक मंजिलों का रजिस्ट्रीकरण, स्वतन्त्र आवासीय निवास इकाई या वाणिज्यिक इकाई के रूप में अनुज्ञात होगा:

परन्तु आवासीय निवास इकाई या वाणिज्यिक इकाई के अधीन भूमि का कोई भी उप–विभाजन अनुज्ञात नहीं होगा तथा रजिस्ट्रीकरण प्रत्येक मंजिल पर केवल एक आवासीय निवास इकाई या वाणिज्यिक इकाई तक सीमित होगा।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 3ग, किसी उपनिवेश, जिसके लिए अनुज्ञप्ति उपरोक्त अधिनियम के अधीन प्रदान की गई है, में अंतरण, विक्रय, उपहार, विनिमय या शाश्वत पट्टे के उद्देश्य से स्वतंत्र आवासीय मंजिलों के पंजीकरण को सक्षम बनाता है। वर्तमान में, अनुज्ञप्ति प्राप्त उपनिवेशों का हिस्सा बनने वाले वाणिज्यिक भूखंडों में स्वतंत्र मंजिलों के पंजीकरण की अनुमति देने के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। हालाँकि, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के दिनांक 05.12.2020 के नीति निर्देशों के तहत विकसित सेक्टरों/संपदाओं में इसकी अनुमति पहले से ही है। अतः, एचएसवीपी द्वारा किये गए वाणिज्यिक विकास की समानता पर, यह प्रस्तावित है कि लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों का हिस्सा बनने वाले वाणिज्यिक भूखंडों की स्वतंत्र मंजिलों के पंजीकरण की अनुमति देने के लिए अधिनियम की धारा 3ग में संशोधन किया जाए।

अतः यह विधेयक प्रस्तावित है।

मनोहर लाल,
मुख्यमंत्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 23 अगस्त, 2023

आर० के० नांदल,
सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 23 अगस्त, 2023 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 से उद्धरण

"3ग. स्वतन्त्र आवासीय मंजिल का रजिस्ट्रेशन.– (1) किसी उपनिवेश में जिसके लिए अनुज्ञप्ति इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई है, अंतरण, विक्रय, उपहार, विनियम या शाशवत पट्टे के प्रयोजन के लिए स्वतन्त्र आवासीय मंजिल का रजिस्ट्रेशन स्वतन्त्र निवास यूनिट के रूप में अनुज्ञात होगा :

परन्तु आवासीय निवास यूनिट के अधीन भूमि का कोई भी उप–खण्ड अनुज्ञात नहीं होगा तथा रजिस्ट्रेशन प्रत्येक मंजिल पर केवल एक निवास यूनिट तक सीमित होगा।

10550—H.V.S.—H.G.P., Pkl.